

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या : 3/एल-6-1-14/2019- /स्वा0, पटना, दिनांक : / /2019

डा0 अशोक कुमार पाठक, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तेघड़ा, बेगूसराय को विभागीय अधिसूचना सं0 726(3) दिनांक 06.12.2017 द्वारा दिनांक 20.09.2016 से 13.10.2016 तक किये गये विदेश यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी थी । डा0 पाठक के दिनांक 20.09.2016 से 13.10.2016 तक के उपभोगित अवकाश को वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 417(25) दिनांक 19.06.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-227 के आलोक में कुल-24(चौबीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

ह0/-
(अनिल कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 835(3) /स्वा0, पटना, दिनांक: 22/7/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर/सिविल सर्जन, बेगूसराय/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तेघड़ा, बेगूसराय/डा0 अशोक कुमार पाठक, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तेघड़ा, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 7, 9 एवं 18(ए)/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20.1.2019
सरकार के संयुक्त सचिव
क्षम